क्रम-संख्या–210

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०–डब्लू०/एन०पी०–91/2014–16

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, सोमवार, 25 अक्टूबर, 2021

कार्तिक 3, 1943 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

ऊर्जा (निजी निवेश) प्रकोष्ठ

संख्या 184/24–ऊ0नि0नि0प्र0/-2021

लखनऊ, 25 अक्टूबर, 2021

अधिसूचना

सा0प0नि0–77

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन 1897) की धारा 21 और विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम संख्या 36 सन 2003) की धारा 180 की उपधारा (2) के खण्ड (घ) के साथ पठित धारा 180 की उप धारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति और सेवा की शर्तें) नियमावली, 2008 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती है।

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति और सेवा की शर्तें) (प्रथम संशोधन), नियमावली, 2021

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति और सेवा की शर्तें) (प्रथम संशोधन), नियमावली, 2021 कही जाएगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

नियम 15 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति और सेवा की शर्तें) नियमावली, 2008 में, नीचे स्तम्भ एक में दिये गये विद्यमान नियम 15 के स्थान पर स्तम्भ दो में दिया गया नियम रख दिया जाएगा ; अर्थात :–

	स्तम्भ एक विद्यमान नियम	स्तम्भ दो एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
पेंशन 15	अध्यक्ष और सदस्य पेन्शन के हकदार होंगेः प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी कोई पेन्शन देय नहीं होगी, (एक) यदि उसने दो वर्ष से कम की सेवा की हो; या (दो) यदि उसे इस सम्बन्ध में अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार आयोग के किसी पद से हटा दिया गया होः परन्तु यह और कि इस नियम के अधीन किसी व्यक्ति को देय पेन्शन की कुल धनराशि किसी पेन्शन की धनराशि के साथ (जिसमें पेन्शन की सारांशीकृत भाग भी है।) यदि कोई हो, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या सरकारी सेवक के रूप में आयोग में अपनी नियुक्ति के पूर्व उसके द्वारा की गयी सेवा के सम्बन्ध में उसे अनुमन्य हो, वह उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश या भारत सरकार के किसी सचिव को अनुमन्य पेन्शन की अधिकतम धनराशि इसमें जो भी अधिक हो, से अधिक नहीं होगी।	पेंशन 15. दिनांक 1 अप्रैल, 2005 को अथवा उसके पश्चात नियुक्त अध्यक्ष और सदस्य राष्ट्रीय पेन्शन योजना (एन0पी0एस0) से आच्छादित होंगे।

आज्ञा से,
आलोक सिन्हा,
अपर मुख्य सचिव।

———

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 184/24-U.N.N.P./ 2021, dated October 25, 2021 :

No.184/ 24-U.N.N.P./ 2021

Dated Lucknow October 25, 2021

In exercise of the powers under sub-section (1) of section 180 *read* with clause (d) of sub-section (2) of section 180 of the Electricity Act, 2003 (Act no. 36 of 2003) and section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897), the Governor is pleased to make the following rules with a view to amend the Uttar Pradesh Electricity regulatory Commission (Appointment and Conditions of Service of the Chairperson and Members) Rules, 2008.

UTTAR PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION (APPOINTMENT AND CONDITIONS OF SERVICE OF THE CHAIRPERSON AND MEMBERS) (FIRST AMENDMENT) RULES, 2021

Short title and commencement

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission (Appointment and Conditions of Service of the Chairperson and Members) (First Amendment) Rules, 2021.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the *Gazette*.

Amendment of rule 15

2**.** In the Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission (Appointment and Conditions of Service of the Chairperson and Members) Rules, 2008 for the existing rule 15 set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be *substituted*, namely**:-**

Column-I ***Existing rule***	**Column-II** ***Rule as hereby substituted***	
Pension15. The Chairperson and the members shall be entitled to pension provided that no such pension shall payable, (i) if he has put in less than two years of service ; or (ii) if he has been removed from an office in the Commission as per the provisions of the Act: Provided further that the aggregate amount of the pension payable to any person under this rule together with amount of any pension (including commuted portion of pension),if any, admissible to him in respect of the service rendered by him prior admissible to him in respect of the service rendered by him prior to his appointment in the Commission as a Judge of the High Court or a Government Servant shall not exceed the maximum amount of pension admissible to a Judge of the High Court or a Secretary to the Government of India, whichever is more.	Pension15. The Chairman and Members appointed on or after 1St April, 2005 shall be covered under the National Pension Scheme (N.P.S.).	

By order,
ALOK SINHA,
Apar Mukhya Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 382 राजपत्र–2021–(859)–599 प्रतियाँ (कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 4 सा0 ऊर्जा–2021–(860)–100 प्रतियाँ (कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।